लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 165वीं बैठक दिनांक 30 जुलाई, 2019 का कार्यवृत्त

उपस्थितिः–

01.	श्री अनिल गर्ग	अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
02.	श्री अजय चौहान	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
03.	श्री कौशल राज शर्मा	जिलाधिकारी, लखनऊ।
04.	श्री प्रभु एन0 सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
05.	डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
06.	श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा	अपर निदेशक, कोषागार, प्रतिनिधि–सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
07.	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक।
08.	श्री पवन अग्रवाल	संयुक्त निदेशक, प्रतिनिधि अपर आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
09.	श्री अनुपम श्रीवास्तव	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ मण्डल प्रतिनिधि–महानिदेशक, पर्यटन।
10.	श्री बी0एल0 गौतम	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।

अन्य उपस्थितिः–

11.	श्री एम0पी0 सिंह	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
12.	श्री अनिल भट्नागर	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
13.	श्री आर0के0 सिंह	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
14.	श्री इन्दु शेखर सिंह	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
15.	श्री पंकज कुमार	नजूल अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
16.	श्री नितिन मित्तल	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
17.	श्री चक्रेश जैन	अधीक्षण अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
18.	श्री पी0सी0 पाण्डेय	अधीक्षण अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के औपचारिक स्वागत के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

विषय संख्या : 1 — लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 05.01.2019 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : — प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।

विषय संख्या : 2 — लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 05.01.2019 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : — प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं कतिपय विषयों पर निम्नांकित निर्देश दिये गयेः–

- सीतापुर रोड योजना के सेक्टर–ई में भूखण्ड संख्या–सीपी–13 बस टर्मिनल (यातायात एवं परिवहन) भू–उपयोग से व्यावसायिक भू–उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आर0टी0सी0 के पत्र दिनांक 25.07.19 को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव ड्राप किया गया।

- मे0 एण्डस टाउन प्लानर्स प्रा0लि0 के सम्बन्ध में मत स्थिर हुआ कि लखनऊ विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर ले कि डी0पी0आर0 स्वीकृति रेरा आदेश दिनांक 17.10.2018 एवं प्राधिकरण बोर्ड के आदेश के अनुपालन में दिया गया है। अगर रेरा आदेश दिनांक 17.10.2018 का अनुपालन नही किया गया है तथा डी0पी0आर0 स्वीकृत की गयी है तो वह आदेश बोर्ड के आदेश के विपरीत और रेरा के ओदश दिनांक 17.10.2018 के विपरीत होने के कारण abinitio शून्य मानी जायेगी। रेरा के आदेश दिनांक 17.10.2018 का बिन्दुवार अनुपालन अगली बैठक में प्रस्तुत की जायें। अवगत कराया गया कि पूर्व आवंटियों को दिनांक 22.01.2019 के दैनिक आज एवं द इण्डियन एक्सप्रेस समाचार–पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त विकासकर्ता को रेरा के आदेश दिनांक 17.10.2018 के अनुपालन की नोटिस दिनांक 18.01.2019 को दी जा चुकी है। उ0प्र0 रेरा द्वारा अपने आदेश दिनांक 17.10.2018 की समीक्षा बैठक दिनांक 28.01.2019 में आदेश दिये गये है कि "भविष्य में रोहतास ग्रुप की परियोजना के आवंटियों एवं शिकायतकर्ताओं के अनुश्रवण का कार्य स्वयं उ0प्र0 रेरा द्वारा किया जायेगा", जिसके क्रम में उ0प्र0 रेरा द्वारा नियमित बैठक/समीक्षा की जाती रही है, जिसमें

प्राधिकरण एवं विकासकर्ता के प्रतिनिधि सम्मिलित होते रहे है। यह भी संज्ञान में लाया गया कि उ0प्र0 रेरा और पुलिस द्वारा विकासकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है।

विषय संख्या : 3 — परिचालन के माध्यम से पारित 04 प्रस्तावों का पुष्टिकरण।

निर्णय : — परिचालन के माध्यम से पारित 04 प्रस्तावों की पुष्टि की गई।

विषय संख्या : 4 — प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2018–19 का वास्तविक प्राप्ति एवं भुगतान तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 के प्रस्तावित आय–व्ययक से सम्बन्धित प्रस्ताव।

निर्णय : — लखनऊ विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2018–19 की वास्तविक प्राप्ति एवं भुगतान तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 की अनुमानित आय के रूप में रू0 2306.79 करोड़ तथा अनुमानित व्यय के रूप में रू0 2259.80 करोड़ के प्रस्तुत बजट प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 5 — ईज आफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत ऑनलाइन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (OBPAS) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — ईज आफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत ऑनलाइन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (OBPAS) को बोर्ड द्वारा अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 6 — जानकीपुरम् योजना सेक्टर–जी में समायोजित भूखण्ड संख्या–सी–1/359ए का भू–उपयोग ग्रीन से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव से सम्बन्धित पत्रावलियों के पुनः परीक्षण हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव वापस लिया गया।

विषय संख्या : 7 — भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011/2016) के अध्याय–26 के अनुसार आवासीय भूखण्डों पर बहु–आवासीय इकाईयों के निर्माण के सम्बन्ध में।

निर्णय : — सम्यक् विचारोपरान्त यह निष्कर्ष निकला कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011/2016) के अध्याय –26 के अनुसार इस प्रस्ताव को अंगीकृत करने में कई असुविधांओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से सेटबैक, पार्किंग, फायर सेफ्टी इत्यादि। अतः निर्देशित किया गया कि जिस प्रकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा अध्याय–26 पर विचार करने

हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया गया है, उसी प्रकार लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भी प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाय।

विषय संख्या : 8

ग्रीन बिल्डिंग के प्राविधानों के अन्तर्गत भवनों में अनुमन्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 5.0 प्रतिशत अतिरिक्त एफ.ए.आर. की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त ग्रीन बिल्डिंग के प्राविधानों के अन्तर्गत भवनों में अनुमन्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 5.0 प्रतिशत अतिरिक्त एफ.ए.आर. निःशुल्क अनुमन्यता के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि जो उपविधि बनी है वह शासन से अनुमोदित है, अतः इसमें जो संशोधन किया जाना है, उसके सम्बन्ध में शासन को सुविचारित प्रस्ताव प्रेषित कर निर्देश प्राप्त कर लिये जाये, जिससे कि सम्पूर्ण प्रदेश हेतु इस विषय पर एकरूपता रहे।

विषय संख्या : 9

गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–4 में नियोजित डिस्पेंसरी भूखण्ड के पुनर्नियोजित संशोधित मानचित्र के सम्बन्ध में।

निर्णय :

चर्चा के दौरान जिलाधिकारी तथा अन्य सदस्यों द्वारा बताया गया कि कुछ लोग इस प्लाट को लेने के इच्छुक है तथा इसमें प्राधिकरण द्वारा पुनः नीलामी के माध्यम से विक्रय किया जाय। इस प्लाट की पुनः नीलामी कराई जाये तथा आई0एम0ए0 तथा सी0एम0ओ0 को भी अवगत करा दिया जाये।

विषय संख्या : 10

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, संस्कृति प्राधिकरण, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–15–1/1/2018 NMA/HBL-Central दिनांक 01 मई, 2019 द्वारा 'अमजद अली शाह का मकबरा, हजरतगंज, लखनऊ के लिए धरोहर उप नियम अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, संस्कृति प्राधिकरण, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–15–1/1/2018NMA/HBL-Central दिनांक 01 मई, 2019 द्वारा 'अमजद अली शाह का मकबरा, हजरतगंज, लखनऊ के लिए धरोहर उप नियम अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 11

इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत मेसर्स ए0एन0एस0 डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा लखनऊ में ग्राम–बाघामऊ पर प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 मानचित्र एवं मे0 शालीमार लेक सिटी प्रा0लि0 में नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

चर्चा के उपरान्त यह मत स्थिर हुआ कि विकासकर्ता या तो पुरानी इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति दिनांक 21.05.2005 के अन्तर्गत अनुमन्य भू–उपयोग के अनुसार अपने प्रस्ताव को संशोधित कर प्रस्तुत करे

अथवा पुनः नई इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति–2014 के अन्तर्गत आवेदन करे। उक्त का परीक्षण कर अनुमोदन हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति को अधिकृत किया जाता है। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि भू–उपयोग के मानक शासनादेश के अनुसार अवश्य हों। नाम परिवर्तन के बारे में शासन के पत्र के दृष्टिगत जो एम0ओ0यू0 लखनऊ विकास प्राधिकरण व डेवलपर के मध्य हुआ है, इसमें वर्णित उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारियों का अध्ययन कर प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाये तथा यदि कोई लीगल इश्यू सामने आता है, तो उसको रजिस्ट्रार आफ कम्पनीस को रिफर कराके उसका समाधान करा लिया जाय। एम0ओ0यू0 के अनुसार डी0पी0आर0 अनुमोदन की कार्यवाही तथा नाम परिवर्तन करने की कार्यवाही एम0ओ0यू0 के तहत उत्तरदायित्व तथा जिम्मेदारियों को तय करते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाय।

यह भी अपेक्षा की गयी कि जो भी डेवलपर के प्रस्ताव लम्बित है उन सब में लम्बित रहने के कारणों का उल्लेख करते हुए सभी सम्बन्धित डेवलपर्स को सूचित किया जाये, जिससे वे डेवलपर उनका निराकरण कर सकें तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण स्तर पर प्रकरणों के लम्बित रहने की शिकायत न रहे।

<u>विषय संख्या : 12</u>

सीतापुर रोड योजना के सेक्टर–सी अन्तर्गत निर्मित भवन/भूखण्ड संख्या–SSE–87 से भवन/भूखण्ड संख्या–SSE–163 तक निर्मित भवनों के इक्जीक्यूशन प्लान के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सीतापुर रोड योजना के सेक्टर–सी अन्तर्गत निर्मित भवन/भूखण्ड संख्या–SSE–87 से भवन/भूखण्ड संख्या–SSE–163 तक निर्मित भवनों के इक्जीक्यूशन प्लान के अनुमोदन के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि प्रकरण कामर्शियल से रेजिडेन्शियल में लैण्ड यूज परिवर्तन की श्रेणी का है, अतः सर्वप्रथम् प्राधिकरण परीक्षण कर लें कि कामर्शियल क्षेत्र का रेजीडेन्शियल आवंटन कैसे हुआ? तदानुसार प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाय।

<u>विषय संख्या : 13</u>

विकास प्राधिकरण की ऐसी योजनाएं, जो नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं हैं, में अनुरक्षण हेतु अनुरक्षण शुल्क का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक् विचारोपरान्त विकास प्राधिकरण की ऐसी योजनाएं, जो नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं हैं, में अनुरक्षण हेतु अनुरक्षण शुल्क का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय हुआ कि वर्ष 2000 में इस विषय पर शासन द्वारा तत्समय लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव पर शासनादेश के माध्यम से अनुरक्षण शुल्क तय किये गये थे, इस शासनादेश के क्रम में वर्ष 2000 से अब तक की गई कार्यवाही की पूर्ण आख्या का उल्लेख करते हुए ल0वि0प्रा0 नए रेट

के बारे में शासन को सुविचारित प्रस्ताव प्रेषित करें। इस विषय पर सदस्यों का यह अभिमत था कि चूंकि नगर निगम के पास विस्तृत क्षेत्र है और उपरोक्त कार्य हेतु नगर निगम अनुभवी एवं विशेषज्ञ संस्था है, अतएव नगर निगम, लखनऊ में निर्धारित दरों का भी अध्ययन कर लिया जाय, ताकि कालोनी हस्तान्तरण के समय अनुरक्षण शुल्क निर्धारण एवं वसूली प्रक्रिया में किसी प्रकार की भिन्नता न हो। तदानुसार प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।

विषय संख्या : 14

श्री राम प्रताप सिंह, लेखाकार की चिकित्सा पर व्यय धनराशि एवं इनके पुत्र एवं पत्नी की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति विषयक प्रस्ताव पर निर्देश दिये गये कि चिकित्सा पर व्यय धनराशि 5 लाख से अधिक है, तो यह देख लिया जाये कि अनुमोदन का सक्षम स्तर क्या होगा और उक्त शासनादेश के अनुसार यदि इसका अधिकार बोर्ड में है, तो शासनादेश की धारा का उल्लेख करते हुए उक्त का अनुमोदन किये जाने पर एन0ओ0सी0 दी गयी, परन्तु यदि अधिकार शासन में हो तो शासनादेश का उल्लेख करते हुए प्रकरण को शासन में अनुमोदन के लिए भेजा जाए।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

अन्य विषय : 01

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति की बैठक में उठाये गये बिन्दु पर आवास एवं शहरी नियोजन के पत्र दिनांक 04.07.2019 के क्रम में लखनऊ महायोजना–2031 के प्रस्तर–7.2.14 को शिथिल करने के सम्बन्ध में

निर्णय :

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि इस विषय पर पूर्व में शासन को आख्या भेजी जा चुकी है। केवल एक नवीन तथ्य सामने आया है कि जिस भूमि के लिए शिथिलता मांगी जा रही है, उस भूमि का क्रय वर्ष 2018 में किया गया है, जबकि महायोजना–2031 दिसम्बर, 2016 से प्रभावी है। अतः संदर्भित भूमि का क्रय महायोजना प्रभावी होने के पश्चात किया गया है। अतः शिथिलता किया जाना उचित नहीं होगा। इस तथ्य को भी पूर्व में भेजी गई आख्या के क्रम में भेजा जाये। बैठक में उपस्थित मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में भेजी टेक्निकल आख्या को ही उचित माना है।

अन्य विषय : 02

स्व0 श्री उमेश शुक्ला, सहायक लेखाधिकारी का सेवाकाल के दौरान की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति इनकी पत्नी श्रीमती किरन शुक्ला को भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति विषयक प्रस्ताव पर निर्देश दिये गये कि चिकित्सा पर व्यय धनराशि 5 लाख से अधिक है, तो यह देख लिया जाये कि अनुमोदन का सक्षम स्तर क्या होगा और उक्त शासनादेश के अनुसार यदि इसका अधिकार बोर्ड में है, तो शासनादेश की धारा का उल्लेख करते हुए उक्त का अनुमोदन किये जाने पर एन0ओ0सी0 दी गयी, परन्तु यदि अधिकार शासन में हो तो शासनादेश का उल्लेख करते हुए प्रकरण को शासन में अनुमोदन के लिए भेजा जाए।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

कृ० पृ० सं० 8 पर हस्ताक्षरित
(बी0एल0 गौतम)
अधीक्षण अभियन्ता,
प्रतिनिधि—प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

कृ० पृ० सं०-8 पर हस्ताक्षरित
(अनुपम श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी,
लखनऊ मण्डल प्रतिनिधि—
महानिदेशक, पर्यटन।

पृष्ठ सं० 8 पर हस्ताक्षरित
(पवन अग्रवाल)
संयुक्त निदेशक, प्रतिनिधि
अपर आयुक्त, उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

दे० पृ० सं० 8 पर हस्ताक्षरित
(अनूप कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य नगर एवं ग्राम
नियोजक, नगर एवं ग्राम
नियोजन विभाग, उ0प्र0।

ह० पृष्ठ नं० 8 पर
(इन्द्रजीत विश्वकर्मा)
अपर निदेशक, कोषागार,
प्रतिनिधि—सचिव, वित्त विभाग
उ0प्र0 शासन।

ह० पृष्ठ सं० 8 पर
(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
नगर आयुक्त,
नगर निगम, लखनऊ।

(एम0पी0 सिंह)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण।

3/8/19
(प्रभु एन0 सिंह)
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण।

पृष्ठ सं० 8 पर हस्ताक्षरित
(कौशल राज शर्मा)
जिलाधिकारी,
लखनऊ।

(अजय चौहान)
आवास आयुक्त, उ0प्र0
आवास एवं विकास परिषद।

अनुमोदित

(अनिल गर्ग)
आयुक्त, लखनऊ मण्डल/
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

कार्यवृत्त के पृष्ठ संख्या–2 के विषय संख्या–2 पर मे0 एण्डस टाउन प्लानर्स प्रा0लि0 के सम्बन्ध में:–

1– सचिव, ल0वि0प्रा0 द्वारा निर्गत सार्वजनिक सूचना दिनांक 22.01.2019 के विज्ञापन (दैनिक आज व इण्डियन एक्सप्रेस) में योजना के आवंटियों से केवल सुझाव मांगे गये हैं जबकि बोर्ड बैठक दिनांक 05.01.2019 का आदेश यह था कि रेरा के आदेश दिनांक 17.10.2018 के कम में सारी सूचना पूर्व आवंटियों को उपलब्ध कराकर सुझाव मांगें जायें। लेकिन सार्वजनिक सूचना में रेरा के आदेश दिनांक 17.10.2018 (विशेषकर पैरा–7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16) के कम में आवंटियों को कोई सूचना नहीं दी गयी है। अतः वर्णित सार्वजनिक सूचना बोर्ड बैठक दिनांक 05.01.2019 के आदेश व रेरा के आदेश दिनांक 17.10.2018 के विपरीत होने व अनुपालन न करने के कारण त्रुटिपूर्ण हैं।

2– रेरा की बैठक दिनांक 28.01.2019 रेरा के आदेश दिनांक 17.10.2018 की Compliance के Review हेतु की गयी है और इस बैठक दिनांक 28.01.2019 के कार्यवृत्त के पैरा 6(iii) में यह भी लिखा है कि Promoter द्वारा परियोजनाओं को पूर्ण कराने का जो रोडमैप प्रस्तुत किया गया है, वह अत्यन्त सतही, अस्पष्ट एवं अपूर्ण है, जिससे स्पष्ट है कि रेरा में भी Promoter पूर्ण सहयोग नहीं कर रहा है।

3– ल0वि0प्रा0 द्वारा जो आख्या बोर्ड बैठक दिनांक 30.07.2019 में दी गयी है, यह अधूरी है तथा इसमें यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि रेरा के आदेश दिनांक 17.10.2018 का जो आदेश है (जिसका अनुपालन करने के पश्चात डी0पी0आर0 की स्वीकृति के आदेश बोर्ड बैठक दिनांक 05.01.2019 में दिये गये थे), का अनुपालन किया गया है या नहीं।

अतः बोर्ड के सदस्यों का यह मत था कि यदि रेरा के आदेश दिनांक 17.10.2018 का अनुपालन नहीं किया गया है और डी0पी0आर0 स्वीकृत की गयी है, तो वह स्वीकृति बोर्ड बैठक दिनांक 05.01.2019 के आदेशों के विपरीत होने के कारण abinitio शून्य मानी जायेगी। अतः यह Compliance आख्या अपूर्ण मानी जा रही है। डी0पी0आर0 की स्वीकृति बोर्ड की बैठक दिनांक 05.01.2019 के कार्यवृत्त के अनुसार ही की जानी चाहिए अन्यथा कोई भी कार्यवाही abinitio void मानी जायेगी। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार यह भी संज्ञान में आया कि रेरा द्वारा इसी डेवलपर ग्रुप के विभिन्न परियोजनाओं के विरूद्व कार्यवाही भी की है तथा पुलिस द्वारा भी विभिन्न एफ0आई0आर0 पर कार्यवाही की गयी है।

05/8/19
(I. J. Vohrakame)
A. D.
Regional Parking
Lucknow

(अनुपम श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी
लखनऊ

(Pravesh Agarwal)
Jt. Comm. Industry
Lko Zone.

5.8.19
B.L. Gautam.
S.E. Jal Nigam

5/8/19
(Dr. Indramani Tripathi)
Nagar Ayukt
Lucknow

5/8/19
AJAY CHAUHAN
Housing Commissioner

05/08/19
Kaushal Raj Sharma
D.M. Lucknow

05/08/19
CTCP UP

कार्यालय आयुक्त, लखनऊ मण्डल/अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

संख्याः—3655/28-56(2018-19) दिनांक 05 अगस्त, 2019
लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 30.07.2019 का कार्यवृत्त—
प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ।

1— प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2— आवास आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
3— जिलाधिकारी, लखनऊ।
4— नगर आयुक्त, लखनऊ।
5— अपर निदेशक, कोषागार, प्रतिनिधि सचिव वित्त।
6— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
7— संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ।
8— क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ प्रतिनिधि—महानिदेशक पर्यटन।
9— अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, लखनऊ।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1— उपाध्यक्ष, ल0 वि0 प्रा0, लखनऊ।
2— सचिव, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।

(अनिल गर्ग) 05/08/19
आयुक्त, लखनऊ मण्डल/
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।